बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 218/2025

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक–09/मु०–05/2025 (अंश) 473 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर–I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर–II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 का आयोजन किया जाना है, **जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–**

1. संरचना :

   क. पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।

   ख. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।

   ग. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

2. **परीक्षा के विषय** : माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर–I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर–II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्नवत् है:–

परिशिष्ट–1

पेपर–I (माध्यमिक)

क्र० सं०	विषय/विषय समूह		शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हता
1.	सामान्य विषयः–	विषय कोड	विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम–2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी० एससी० एड० की चार वर्षीय उपाधि।
	1. हिन्दी	101	
	2. उर्दू	102	
	3. बंगला	103	
	4. मैथिली	104	
	5. संस्कृत	105	
	6. अरबी	106	
	7. फारसी	107	
	8. भोजपुरी	108	
	9. अंग्रेजी	109	
	10. गणित	110	
	11. विज्ञान	111	
	12. सामाजिक विज्ञान	112	
2.	शारीरिक शिक्षा	113	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता। अथवा 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर–विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलो प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता। अथवा प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/कोच)– 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव। अथवा 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक। अथवा ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन०सी०सी० ('सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो। अथवा शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी०पी०एड० पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य) अथवा ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। अथवा ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर–कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं मे पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/ एन०सी०सी० ('सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। अथवा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि मे एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक। तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिशद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) अथवा इसके समतुल्य।
3.	संगीत विषय	114	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
4.	ललित कला विषय	115	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विशय में स्नातक–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	नृत्य विषय	116	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
6.	विशेष विद्यालय अध्यापक (क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक–उपाधि एवं (ख) भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नं० धारित हो या बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी०एड० के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नं० धारित हो। एवं (ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र मे 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। परन्तुकः– भारतीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। **नोटः– अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय/विषय समूह का चयन कर सकते है।**		

(ii) विषय समूह :–

(क) गणित :– स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साईस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साईस में बी०सी०ए० की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।

(ख) विज्ञान :– स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणी विज्ञान), बनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।

(ग) सामाजिक विज्ञान :– स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जायेगा।

(घ) भाषा से संबंधित विषय :– माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (ऑनर्स)/अनुषांगिक (सब्सीडियरी) विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण :

(i) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) पेपर–I के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय के लिए अलग–अलग परीक्षा ली जाएगी।

(iii) शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर–I के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हत्ता का निर्धारण परिशिष्ट–I की कंडिका–2 में किया गया है।

परिशिष्ट–2

पेपर–II (उच्च माध्यमिक)

क्र० सं०	विषय/विषय समूह		शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अर्हता
1.	सामान्य विषयः–	विषय कोड	विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय–सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम–2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी० ए० एड०/बी०एससी०एड०। **अथवा** न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी०एड०–एम०एड०।
	1. हिन्दी	201	
	2. उर्दू	202	
	3. अंग्रेजी	203	
	4. संस्कृत	204	
	5. बांगला	205	
	6. मैथिली	206	
	7. मगही	207	
	8. अरबी	208	
	9. फारसी	209	
	10. भोजपुरी	210	
	11. पाली	211	
	12. प्राकृत	212	
	13. गणित	213	
	14 भौतिक विज्ञान	214	
	15. रसायन शास्त्र	215	
	16. जन्तु विज्ञान	216	
	17. इतिहास	217	
	18. भूगोल	218	
	19. राजनीति शास्त्र	219	
	20. समाज शास्त्र	220	
	21. अर्थशास्त्र	221	
	22. दर्शनशास्त्र	222	
	23. मनोविज्ञान	223	
	24. गृहविज्ञान	224	
	25. वनस्पति विज्ञान	229	
2.	वाणिज्य	225	वाणिज्य विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। वणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषयों यथा, EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखा शास्त्र) एवं Business Study (बिजनेश स्टडी) के लिए आवेदन कर सकेंगे। RojgarResult.Com तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता।
3.	कम्प्यूटर साईस	226	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपाधि। डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ई० (कम्प्यूटर साईस/आई०टी०) या बी०टेक० (कम्प्यूटर साईस/आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईस में स्नातकोत्तर/एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। अथवा "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर" अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोतर की उपाधि। अथवा सूचना एवं संचार प्राद्योगिकी मंत्रालय से डी० ओ० इ० ए० सी० सी० से स्तर "सी" किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अथवा एम० सी० ए० का तीन वर्षीय कोर्स (6 सेमेस्टर)। **नोटः–कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यार्थियों के लिए बी० एड० की योग्यता अनिवार्य नहीं है।**
4.	कृषि	227	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Breeding & Genetics/Entomology/Plant Pathology/Seed Science & Technology/ Soil Science/Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा। नोटः– मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
5.	संगीत	228	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

विषय समूहः–

RojgarResult.Com

Subject	Subjects at Post Graduate level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.com in Applied/Business Economics shall not be eligible,
Botany/ Zoology	Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/ Micro Biology/Biotechnology/Molecular Biology/ Plant Physiology.
Maths	Mathematics/Applied Mathemetics

स्पष्टीकरणः–

(i) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) राज्य के विद्यालयों में Multi Media & Technology विषय की पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए पेपर–II के तहत Multi Media & Technology की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) वाणिज्य संकाय के लिए पेपर–II के अन्तर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी।

3. **पाठ्यक्रम : पेपर–I** (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा **पेपर–II** (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक (प्रतिष्ठा) स्तरीय पाठ्यक्रम।

4. **प्रश्नपत्र पैटर्न** : माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे :–

निर्दिष्ट विषय वस्तु	–	100
शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता	–	50
कुल अंक	–	150

5. अर्हता :

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता/ अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।

(ग) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 के प्रावधानों के तहत निर्गत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं यथा (i) अधि० सं.–916 दिनांक 19.05.2023, (ii) अधि० सं०–934 दिनांक 25.05.2023, (iii) अधि० सं०–956 दिनांक 29.05.2023, (iv) अधि० सं०–957 दिनांक 29.05.2023, (v) अधि० सं०–964 दिनांक 29.05.2023, (vi) अधि० सं०–965 दिनांक 29.05.2023, (vii) अधि० सं०–969 दिनांक 30.05.2023, (viii) अधि० सं०–1010 दिनांक 08.06.2023 एवं (ix) अधि० सं०–1154 दिनांक 21.08.2023 के अनुसार पेपर–I (माध्यमिक) एवं पेपर– II (उच्च माध्यमिक) अन्तर्गत निर्धारित विषय/विषय समूह के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 के अनुरूप होगी।

(घ) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6. उम्र सीमा एवं छूटः–

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 01.08.2025 को न्यूनतम आयु सीमा 21(इक्कीस) वर्ष की होगी। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विहित की जाय।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 294, दिनांक 07.11.2016 द्वारा उल्लेखित प्रावधानानुसार कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी:–

क्र० सं०	कोटि	दिनांक 01.08.2025 को अधिकतम आयु सीमा
1.	अनारक्षित (पुरूष)	37 वर्ष
2.	अनारक्षित (महिला)	40 वर्ष
3.	पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	40 वर्ष
4.	अति पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	40 वर्ष
5.	अनु०जाति (पुरूष/महिला)	42 वर्ष
6.	अनु०जनजाति (पुरूष/महिला)	42 वर्ष

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–962 दिनांक 22.01.2021 में किये गये प्रावधानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–5374 दिनांक 02.04.2013 में किये गये प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 मे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2025 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देय नहीं होगी।

7. उत्तीर्णांक : सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2025 का उत्तीर्णांक निम्नवत् होगा :–

क्र०सं०	कोटि	उत्तीर्णांक
1.	सामान्य	50% अंक
2.	पिछड़ा वर्ग	45.5% अंक
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	42.5% अंक
4.	अनु0जाति/अनु0जनजाति	40% अंक
5.	दिव्यांग	40% अंक
6.	महिला	40% अंक

नोटः–बिहार राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11.06.1996 द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात, जो बिहार के मूल निवासी है।

राज्य की उक्त आरक्षण नीति बिहार अधिनियम, 15/2003 द्वारा दिनांक 11.06.1996 के प्रभाव से निम्नरूपेण प्रावधानित किया गया है :–

"परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।"

8. **कंडिका 6, 7 एवं 10 में दी जाने वाली छूट यथा– अधिकतम** आयु सीमा, न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं परीक्षा शुल्क में छूट केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए ही देय है। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की छूट देय नही है। तदनुसार बिहार राज्य के बाहर के सभी महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की छूट संबंधी गणना सामान्य वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी एवं सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा।

9. प्रमाण–पत्र

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2024 में पेपर–I एवं पेपर–II में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ख) विभागीय आदेश ज्ञापांक–11/वि1–34/2009–893 दिनांक 22.06.2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2024 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवनपर्यन्त (Life time) होगी।

10. परीक्षा शुल्क

क्र० सं०	श्रेणी	परीक्षा शुल्क की निर्धारित राशि	
		पेपर–I अथवा पेपर–II (एक पेपर के लिए)	पेपर–I एवं पेपर–II (दोनों पेपर के लिए)
I.	सामान्य वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	960/–रू०	1440/– रू०
II.	अनुसूचित जाति/ अनु० जनजाति/दिव्यांग	760/–रू०	1140/– रू०

11. नॉर्मलाइजेशन (Normalization) :

(क) Computer Based Test (CBT) विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएँ, जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों (Sitting)/तिथियों (Dates) में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग–अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग–अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व Normalization की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नही हो। इसलिए इस परीक्षा में भी Normalization विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा।

(ख) Normalization की प्रक्रिया के उपरान्त अभ्यर्थी का जो भी Normalized Score होगा, वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक (Normalised Score) के आधार पर कंडिका संख्या–7 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि Raw Score (Raw Score = सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक) के आधार पर।

(ग) उदाहरणस्वरूप, किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में Raw Score 76 है तथा Normalization प्रक्रिया के उपरान्त उसका Normalized Score 74.90 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णांक (150 का 50% = 75) प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा।

(घ) यद्यपि कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किन्तु Normalization की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में Normalization Score में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है।

12. **प्रवेश परीक्षा की अवधि : Computer Based Test (CBT) विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 की अवधि 150 मिनट (2:30 घंटा) की होगी।**

13. **ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि** : उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाईन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 11.09.2025 के अपराह्न से दिनांक 19.09.2025 तक स्वीकार किये जाएँगे।

14. परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि : अभ्यर्थी को समिति की वेबसाईट **https://secondary.biharboardonline.com** एवं **https://biharboardonline.com** पर जाकर "Online Apply : STET EXAM, 2025" Click करना होगा। Click करने पर Secondary Teacher Eligibility Test (STET), 2025 का लिंक खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ई–मेल आई० डी० तथा मोबाईल नम्बर मौजूद है। अभ्यर्थी अपना ई–मेल आई०डी० एवं मोबाईल नम्बर अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे।

15. परीक्षा आवेदन–पत्र समिति की वेबसाईट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत् है :

(I) वेबसाईट **https://secondary.biharboardonline.com** एवं **https://biharboardonline.com** पर आवेदन की प्रक्रिया तीन चरण में पूर्ण होगी:– (A) पंजीकरण, (B) फॉर्म भरना (C) भुगतान करना

(ii) पंजीकरण– प्रथम बार मे Registion Page खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएँ भरेंगे एवं Generate OTP बटन पर क्लिक करेंगे। OTP डाल कर Registration की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। आवेदक के पंजीकृत मोबाईल पर SMS माध्यम सगे User Id & Password उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) फॉर्म भरना– आवेदक अपने User Id एवं Password के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर Login कर सकेंगे। Login करने पर आवेदन–पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरेंगे।

(iv) अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर : अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 80 kb से 200 kb तक एवं आयाम 3.5cm × 4.5cm होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साईज 50kb से 200kb तक होना चाहिए।

(v) रंगीन फोटोग्राफ हाल (Recent) का होना चाहिए एवं फोटोग्राफ का Background सफेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आँखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।

(vi) फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है।

(vii) परीक्षा शुल्क का भुगतान करना:– आवेदन पत्र भरने के उपरांत Select Online Payment को Click करेंगे। तत्पश्चात् Select Payment Gateway में से किसी एक Payment Gateway को Select कर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान Debit Card/Credit Card/Net Banking/ UPI के माध्यम से करने की अनुमति होगी। इसके अलावे अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं होगा।

16. **प्रमाण पत्रों को अपलोड करना**: अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे :–

a) मैट्रिक (10th) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)।

b) इंटर (12th) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

c) स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

d) स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

e) बी.एड. का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

f) अन्य शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो)।

g) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र।

h) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।

i) अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र।

   (नोट : आरक्षण का दावा करनेवाली विवाहित महिलाओं की जाति/अद्यतन क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से)

j) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र मे सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र।

k) भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।

l) **अभ्यर्थी आवेदन पत्र के विवरणों को भरने के पश्चात् "Preview" बटन को CLICK कर अपने द्वारा भरे गये ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर ले। यदि ऑनलाईन भरे गये आवदेन पत्र में कोई त्रुटि हो तो अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए SAVE बटन पर क्लिक करें।**

17. अभ्यर्थी अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाये रखेंगे। इस यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजे।

18. **सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने के बाद भरे गये परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जाँच कर लें। यदि कोई त्रुटि हो तो अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पूर्व समिति की वेबसाईट https://secondary.biharboardonline.com एवं https://biharboardonline.com पर Click कर निश्चित रूप से सुधार कर लें। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं होगा।**

नोटः–ऑनलाईन के अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

19. यह आवश्यक है कि Online परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत/रद्द कर दिया जायेगा।

20. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गये विवरण अथवा उनके द्वारा अपलोड किये गये अभिलेख गलत पाये जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षाफल रद्द कर दिया जायेगा।

21. **घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTER) का प्रयोग वर्जित है।**

22. इस परीक्षा से संबंधित पृच्छा/जानकारी के लिए हेल्पलाईन नम्बर– +917353921118 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा **Helpdesk email ID : stethelpdesk2025@gmail.com** पर भेजी जा सकती है।

23. सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह की अद्यतन सूचनाओं के लिए समिति की वेबसाईट **https://secondary.biharboardonline.com** एवं **https://biharboardonline.com** का अवलोकन करते रहेंगे।

24. **इस परीक्षा हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही–सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे।**

25. **अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन माध्यम से भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा।**

26. **उक्त परीक्षा के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख, विज्ञप्ति में अंकित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता को पूर्ण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थित्व किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है।**

27. **ऑनलाईन आवेदन के क्रम में वांछित विवरणों को सही–सही भरा जाएगा। किसी भी स्तर पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे तथा उनका अभ्यर्थित्व किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है।**

28. **अन्तिम रूप से ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 में किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। अतः अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरेंगे।**

29. **अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क की राशि नहीं जमा होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी।**

30. आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फार्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संधारित रखेंगे। भरे गये ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र में किसी प्रकार की जानकारी गलत पाये जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी।

31. परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षाफल प्रकाशन की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था, तो उसका अभ्यर्थित्व एवं परीक्षाफल रद्द कर दिया जाएगा।

32. **परीक्षा आवेदन पत्र में विवरणों को शुद्ध–शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देश :–**

i. इस परीक्षा हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही–सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे।

ii. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन भरे गए परीक्षा आवेदन के विवरणों के आधार पर समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा।

iii. आवेदकों की सुविधा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे प्रथमतः आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर लें तथा उसमें वांछित विवरणों को पहले भली–भाँति कलम (Pen) से भर लें तथा उसके उपरांत इन विवरणों को पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्ट करें। यह कार्य मात्र आवेदन के पोर्टल पर विवरणों की ऑनलाईन शुद्ध–शुद्ध प्रविष्टि के उद्देश्य से किया जाना है। अतएव डाउनलोड किए गए आवेदन प्रपत्र को भौतिक रूप से न तो समिति कार्यालय में भेजे जाने की आवश्यकता है और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।

iv. वैसे इच्छुक आवेदक जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र साइबर कैफे के माध्यम से भर रहे हैं उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे स्वयं साइबर कैफे में बैठकर कम्प्यूटर स्क्रीन पर विवरणों की, की जा रही प्रविष्टि ;म्दजतलद्ध का सतर्कता पूर्वक अवलोकन करते रहेंगे तथा यह आश्वस्त हो लेंगे, कि सभी विवरण सही–सही एवं त्रुटिरहित भरे गए हैं, वे अपने आवेदन को Submit करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र के विवरणों को भरने के पश्चात "Preview" बटन को Click कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र की पुनः जाँच (Review) कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए "Save" बटन पर Click करें। Submit किए जाने के पश्चात त्रुटि के निराकरण से संबंधित कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

v. कभी–कभी ऐसा देखा गया है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय 'EWS श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)' के आवेदक के द्वारा 'EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)' श्रेणी अंकित कर दिया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। EWS श्रेणी के आवेदक के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 हेतु आवेदन के पोर्टल पर अपनी श्रेणी "General" अंकित करेंगे।

vi. आपके ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किए गए आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही उनका परीक्षा परिणाम तैयार होगा। त्रुटिपूर्ण आरक्षण श्रेणी अंकित किए जाने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। अतः आवेदक आरक्षण श्रेणी अंकित करने में पर्याप्त सतर्कता बरतेंगे।

vii. निर्धारित अवधि में विहित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन जमा नहीं किए जाने वाले आवेदकों का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

viii. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा।

33. विज्ञप्ति में किसी भी बिन्दु पर विसंगति की स्थिति में शिक्षा विभाग का निर्णय/आदेश मान्य होगा।

परीक्षा नियंत्रक, (विविध)